

परियोजना का विवरण

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के अर्न्तगत स्व वित्त पोषित बहुमंजिलीय आवासोय परियोजना 2015 (गंगा अपार्टमेन्ट, यमुना अपार्टमेन्ट एवं हिण्डन अपार्टमेन्ट) में प्रस्तावित भवनों हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। विशिष्टियाँ निम्नवत् प्रस्तावित हैं।

भवनों की विशिष्टियाँ :

स्ट्रक्चर :-	अतिप्रभावशाली भूकम्प रोधी आर०सी०सी० शियरवाल तकनीक पर आधारित स्ट्रक्चर का निर्माण।
फर्श :-	बैडरूम/ड्राइंग रूम/डायनिंग लॉन्ज में विट्रिफाईड टाइल्स एवं कॉमन क्षेत्र में कोटा स्टोन/मार्बल फ्लोरिंग।
किचन :-	कुकिंग प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट, प्लेट फार्म के ऊपर दो फिट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स, स्टेनलेस स्टील का सिंक।
ट्वायलेट :-	फर्श पर एन्टीस्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, एक ट्वायलेट में इण्डियन व अन्य में यूरोपियन सीट, सिस्टर्न व एक-एक वाशबेसिन तथा क्रोम प्लेटेड टैप फिटिंग्स।
चौखट :-	एंगिल आइरन/मलेशियन शाल वुड की चौखट।
दरवाजे :-	फ्लैट्स में मुख्य द्वारा पर डिजाइनर डोर तथा अन्य समस्त फ्लश डोर।
खिडकियाँ :-	यू-पी०वी०सी० विण्डो।
रंग रोगन :-	1 बी०एच०के० एवं 2 बी०एच०के० फ्लैट्स में भीतरी दीवारों व छत पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर तथा अन्य भवनों में आयल बाउण्ड पेन्ट तथा बाहरी सतह पर अपेक्स फिनिशिंग दरवाजों पर एनेमल पेन्ट/पालिश।
जलापूर्ति :-	सभी फ्लेट हेतु छत पर आर०सी०सी० का संयुक्त टैंक व अलग से ग्राउण्ड वाटर स्टारेज की सुविधा।
विद्युत :-	अग्निरोधक पी०वी०सी० कॉपर कन्सीलड वायरिंग व पावर व ए०सी० प्वाइंट का प्राविधान, पावर बैकअप हेतु अतिरिक्त वायरिंग टी०वी० एवं फोन साकेट व एम०सी०बी०।
स्टेयर केस :-	कोटा स्टोन फ्लोरिंग, आयरन रेलिंग।
डोर फिटिंग्स :-	गोल्डन फिनिश एल्युमीनियम फिटिंग्स।

अन्य प्राविधान :-

- 1 इन्टरकॉम व टेलीफोन/इन्टरनेट वायरिंग का प्राविधान।
- 2 मुख्य दरवाजे पर नाइट लैच एवं मैजिक आई का प्राविधान।
- 3 प्रवेश द्वार में मोर्टिस लॉक का प्राविधान।
- 4 वाशिग मशीन के लिये अलग से वाटर व विद्युत प्वाइंट का प्राविधान।
- 5 केबिल / डिश टी०वी० नेटवर्क हेतु वायरिंग का प्राविधान।
- 6 परिसर में क्लब, जिम एवं स्वीमिंग पूल का प्राविधान।

पंजीकरण हेतु प्राविधान :

- 1 बहुमंजिले फ्लैट्स के टावर्स हेतु अपेक्षित क्षमता के ट्रांसफार्मर एवं अन्य कॉमन सुविधाओं जैसे—लिफ्ट, जलापूर्ति एवं कैम्पस लाईट इत्यादि के पॉवर बैकअप हेतु जनरेटर का भी प्राविधान किया गया है।
- 2 बाउण्ड्रीवाल, गार्डरूम तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं के लिये योजना में प्राविधान किया गया है।
- 3 फ्लैट्स में फायर सेफ्टी एवं परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।
- 4 इंगित मूल्य अनुमानित है। फ्लैट्स निर्माणाधीन अवस्था में है। निर्माण कार्य 12 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। भवनों के वर्तमान अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणों जैसे—भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर भी निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
- 5 फ्लैट्स की टाइप डिजाइन व ले—आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
- 6 प्रथम तल, द्वितीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्ज (PLC) के रूप में विक्रय मूल्य का कमशः 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देना होगा।
- 7 सामान्यतः एक श्रेणी में कराये गये पंजीकरण अन्य श्रेणियों में स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे यदि किसी श्रेणी में पंजीकरण प्रस्तावित भवनों की संख्या से अधिक होता है तो परिषद उक्त भवनों का निर्माण योजना के अन्य सेक्टरों में कराये जाने पर विचार कर सकती है।
- 8 उक्त अनुमानित / आगणित मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक आवंटी को कार पार्किंग के लिए स्पेस, स्टिल्ट/खुला/कवर्ड स्थान आरक्षित कराना अनिवार्य होगा। कवर्ड कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रू0—1.75 लाख व खुले के लिए रू0—0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। उपलब्ध पार्किंग स्पेस आवंटियों के मध्य लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे।
- 9 प्रत्येक आवंटी को योजना के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फ्री—होल्ड चार्ज आवंटन तिथि को प्रचलित दर पर देना होगा।
- 10 परिसर का रख—रखाव प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त आवंटियों द्वारा नियमानुसार “रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी” का गठन करते हुए उसके द्वारा रख—रखाव कराया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 11 प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जे की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटियों को पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व “कार्पस फण्ड” में एक मुश्त निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह धनराशि 1 BHK भवन हेतु रू0—100000.00, 2 BHK भवन हेतु रू0—145000.00, 2 BHK+study भवन हेतु रू0—175000.00 3 BHK भवन हेतु रू0—190000.00 एवं 3 BHK+study भवन हेतु रू0—250000.00 तथा 4 BHK+study भवन हेतु रू0—285000.00 एवं पेन्ट हाउस पर्ल हेतु रू0—290000.00 पेन्ट हाउस रूबी हेतु रू0—340000.00 पेन्ट हाउस डायमण्ड हेतु रू0—370000.00 एवं 3 BHK+study +Terrace हेतु 330000.00 अतिरिक्त देय होगी।
- 12 परिसर की सामान्य सेवाये जैसे—लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाईट, विद्युत बिल एवं सफाई इत्यादि के नियमित रख—रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट्स के आवंटी से प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से प्रतिमाह भवनों के सुपर प्लिन्थ एरिया के अनुसार रू0—1.50 प्रति वर्गफुट की दर से रख—रखाव शुल्क लिया जायेगा, जिसे बाद में परिषद अथवा सोसायटी को कम व अधिक करने का अधिकार होगा।
- 13 योजना में प्रथम व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का काय एवं उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि परिषद द्वारा रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तगत कर दी जायेगी, तत्पश्चात् सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं के रख—रखाव हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की सहमति से निर्धारित अपने श्रोतो से वहन करना होगा।
- 14 राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे—वेट, जी0एस0टी0 आदि आरोपित किया जाता है तो वह स्वयं आवंटी को वहन करना होगा।
- 15 भारत सरकार द्वारा लागू सर्विस टैक्स सम्पत्ति के मूल्य पर प्रत्येक किष्प के साथ देय होगा। जो समय—समय पर शासन द्वारा सषोधित दरों के अनुसार भुगतान लागू/देय होगा।
- 16 आयकर अधिनियम 1961 की धारा—194—1ए मे उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत रू0—50.00 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर श्रोत पर 01 प्रतिषत आयकर कटौती का प्राविधान है। रू0—50.00 लाख से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के आवंटी किष्प से 01 प्रतिषत धनराशि आयकर के रूप में कटौती कर केता द्वारा TIN वेबसाईट पर उपलब्ध 26QB के माध्यम से आयकर विभाग में परिषद के पेन संख्या—**AAAJU0103A** में धनराशि समयान्तर्गत जमा कर फार्म नं0—16बी की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उक्त जमा धनराशि की पुष्टि 26AS से करने के उपरान्त ही सम्पत्ति के खाते में प्रविष्टि की जायेगी।

पंजीकरण हेतु पात्रता :

- 1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3 फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किन्तु चूँकि सम्पत्ति का कब्जा केवल 20 प्रतिषत धनराशि जमा कराकर दिया जाना है, अतः आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई0एम0आई0 की निर्धारित राशि उसकी कुल वार्षिक आय के 40 प्रतिषत

धनराशि से अधिक न हो। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय ₹0-1000000.00 है तो वह ई0एम0आई0 के रूप में अधिकतम ₹0-400000.00 प्रति वर्ष (लगभग ₹0-33300.00 प्रति माह) ही कर सकता है। आवंटन पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखा जायेगा एवं इस हेतु आवंटी को अपनी आय के प्रमाण स्वरूप आवधिक प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे।

पंजीकरण के नियम :

- 1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 2 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी केलिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 3 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा पुस्तिका (ऑन लाईन उपलब्ध) में संलग्न निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में आवेदन करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
- 4 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। तथा मांग पत्र के अनुसार देय धनराशि पर शासन के आदेशानुसार सर्विस टैक्स की कटौती भी की जायेगी। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित संलग्न रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

भुगतान का तरीका :

- 1 सम्पत्ति के पंजीकरण हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण राशि के रूप में देय होगी। सम्पत्ति का कब्जा कुल मूल्य का 20 प्रतिशत (जिसमें पंजीकरण धनराशि समायोजित है) के उपरान्त उ0प्र0 शासन के अनुसार देय स्टाम्प पेपर पर किराया किफ्त कय अनुबन्ध निष्पादन उपरान्त देय होगा। शेष धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 180 किफ्तों में देय होगी। सम्पत्ति के कुल मूल्य का भुगतान 01 माह के भीतर करने की दशा में 02 प्रतिशत छूट देय होगी।
- 2 प्रदेषन पत्र म दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किशत की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार 13.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किशतों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 3 आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किशत की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 4 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किशतों को धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद"/"UPAVP" के नाम जो गाजियाबाद शहर / दिल्ली में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा एवं सेवाकर का भुगतान मांग पत्र में उल्लिखित बैंक में अलग से देय होगा।

फ्लैट्स का कब्जा

- 1 फ्लैट्स का कब्जा 06 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 2 फ्लैट्स का कब्जा मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के किराया किफ्त कय / सेल डीड के पंजीयन कराने के बाद देय होगा।
- 3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को ₹0-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाहो की जा सकेंगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना / शर्तें

- 1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेंगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 2 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 3 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 4 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र गाजियाबाद होगा।

आरक्षण:

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटस मे निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशो के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। वर्तमान समय में उ०प्र० में विद्यमान जिलो से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक /सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण। स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। उ०प्र० राज्य की सेवा में तथा उ०प्र० राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध करायें शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।

7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (नेत्रहीन विकलांग को 01 प्रतिशत एवं अन्य विकलांग को 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा)
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा। आवेदक को आरक्षण श्रेणी के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन :-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य फ्लैट/ भवन अथवा भूखण्ड से है।